माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

Website : www.rajeduboard.nic.in

उच्च माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित होने वाले स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए अनुदेश

सामान्य निर्देश एवं आवश्यक सूचनाएँ

(1) परीक्षार्थ आवेदन करने की अन्तिम तिथियाँ एवं परीक्षा शुल्क

	अन्तिम तिथि	देय परीक्षा शुल्क	प्रायोगिक परीक्षा शुल्क
1. सामान्य परीक्षा शुल्क	21 अगस्त, 2013	रु. 500 / —	रू. 50 / — प्रति प्रायोगिक विषय
2. एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	05 सितम्बर, 2013	रु. 1000 / —	” ”
3. असाधारण परीक्षा शुल्क रु. 1000 / — सहित	30 नवम्बर, 2013	रु. 1500 / — (जिला मुख्यालय पर एक)	” ”

प्रायोगिक परीक्षा शुल्क : रू. 50 / — प्रति प्रायोगिक विषय (परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त)

(2) पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण / शुल्क जमा कर अनुपस्थित रहे परीक्षार्थियों के लिए

1. सामान्य परीक्षा शुल्क	07 अक्टूबर, 2013	रु. 500 / —	रू. 50 / — प्रति प्रायोगिक विषय
2. एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	14 अक्टूबर, 2013	रु. 1000 / —	” ”
3. असाधारण परीक्षा शुल्क रु. 1000 / — सहित	30 नवम्बर, 2013	रु. 1500 / — (जिला मुख्यालय पर एक)	” ”

नोट : अग्रेषण अधिकारी को अग्रेषण शुल्क रू. 40 / — पृथक से देने होंगे।

(3) अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र शुल्क विवरण :—

- सामान्य परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन—पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक — 100 / — रुपये
- दोगुने परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन—पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक — 200 / — रुपये
- असाधारण परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन—पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक — 300 / — रुपये
- विशेष परिस्थिति में यदि उपरोक्त तिथि के पश्चात् जारी किया जाता है तो — 500 / — रुपये
- उपरोक्त व्यवस्था के अलावा कोई विद्यालय अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय से कक्षा 10 / 11 उत्तीर्ण विद्यार्थी को कक्षा 11 / 12 में बिना पात्रता प्रमाण—पत्र के प्रवेश देता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यालय से पात्रता प्रमाण—पत्र शुल्क के साथ प्रति विद्यार्थी रू. 1000 / — रुपये दण्ड राशि भी ली जावेगी जो शाला को वहन करनी होगी।

विशेष :—अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी का आवेदन—पत्र पात्रता प्रमाण पत्र बिना स्वीकार नहीं किया जायेगा। मूल पात्रता प्रमाण—पत्र परीक्षा आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। पात्रता प्रमाण—पत्र हेतु माध्यमिक परीक्षा की मूल अंकतालिका, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल *T.C.* अथवा *Migration Certificate*, सहित निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ बोर्ड को आवेदन करें।

नोट :— (i) परीक्षा शुल्क के अलावा आवेदन पत्र अग्रेषण करने हेतु अग्रेषण अधिकारी को रु. 40 / — अग्रेषण शुल्क भी देना होगा।
(ii) असाधारण परीक्षा शुल्क सहित आवेदन पत्र प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नियुक्त निम्नांकित अग्रेषण अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाएंगे, ऐसे परीक्षार्थियों को उसी जिला मुख्यालय पर स्थित कोई भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है:—

1.	अजमेर	राज. जवाहर उ.मा. विद्यालय, सिविल लाईन	19.	जोधपुर	राज. महात्मा गांधी उ.मा. विद्यालय
2.	अजमेर	राज. उ.मा. विद्यालय, तोपदड़ा	20.	जालौर	राज.उ.मा. विद्यालय
3.	भीलवाड़ा	श्री महेश शि.स.उ.मा. विद्यालय	21.	जैसलमेर	राज.अ.श.सा.गोपा उ.मा. विद्यालय
4.	नागौर	रा. सेठ कि. का उ.मा. विद्यालय	22.	सिरोही	राज.उ.मा. विद्यालय
5.	टोंक	राज.उ.मा. विद्यालय	23.	पाली	राज. बांगड़ उ.मा. विद्यालय
6.	जयपुर	राज. राजा रामदेव पौद्दार उ.मा. विद्यालय	24.	बाड़मेर	राज.उ.मा. विद्यालय
7.	जयपुर	श्री म.दि. जैन उ.मा.वि.महावीर मार्ग सी.स्कीम अशोक नगर	25.	उदयपुर	गुरू गो.सि.उ.मा. विद्यालय
8.	भरतपुर	सनातन धर्म उ.मा. विद्यालय	26.	चित्तौड़गढ़	राज.उ.मा. विद्यालय

9.	धौलपुर	राज. महाराणा उ.मा. विद्यालय	27.	राजसमन्द	राज.उ.मा. विद्यालय
10.	अलवर	सैनी उ.मा. विद्यालय	28.	डूंगरपुर	राज. महारावल उ.मा. विद्यालय
11.	सीकर	राज. श्री कल्याण उ.मा. विद्यालय	29.	बांसवाड़ा	राज.बा.उ.मा. विद्यालय
12.	दौसा	श्रीरामकरण जोशी उ.मा. विद्यालय	30.	चूरू	राज. बागला उ.मा. विद्यालय
13.	कोटा	राज.बालिका (महारानी) उ.मा.वि.,रामपुरा	31.	बीकानेर	राज. सार्दुल उ.मा. विद्यालय
14.	बांरा	राज. उ.मा. विद्यालय	32.	हनुमानगढ़	राज.उ.मा. विद्यालय
15.	बूंदी	राज. उ.मा. विद्यालय	33.	झुंझूनू	राज.उ.मा. विद्यालय
16.	झालावाड	राज.बा.उ.मा. विद्यालय	34.	श्रीगंगानगर	सेठ गिरधारीलाल बि.उ.मा. विद्यालय
17.	सवाईमाधोपुर	राज.उ.मा. विद्यालय	35.	प्रतापगढ़	राजकीय उ. मा. विद्यालय
18.	करौली	राज.उ.मा. विद्यालय			

परीक्षा तिथि

उच्च माध्यमिक परीक्षा गुरूवार 6 मार्च 2014 से प्रारम्भ होगी।

नोट :– उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन के लिए बोर्ड स्वतंत्र होगा जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।

1. परीक्षार्थी कृपया ध्यान दें –

(1) नियमों की पूर्ण जानकारी हेतु परीक्षार्थियों को सम्बंधित परीक्षा की विवरणिका देखना आवश्यक है। इस अनुदेश पत्र में केवल मुख्य बातें ही दी गई हैं। इनके आधार पर परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का कानूनी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। इस अनुदेश पत्र को परीक्षा समाप्ति तक अपने पास सुरक्षित रखें। जो सूचनाएं इस अनुदेश पत्र में दी गई है उनके विषय में यदि पुनः पत्र–व्यवहार किया तो उत्तर नहीं दिया जाएगा। आवेदन पत्र में यदि कोई सूचना नियम/विनियमों के विरूद्ध भर दी गई है तो वे किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी तथा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। परीक्षार्थी अन्य जानकारी हेतु अग्रेषण अधिकारी से सम्पर्क करें तथा अपना आवेदन पत्र पूरी तरह सोच विचार कर भरें। अपूर्ण या गलत भरे अथवा नियम व्यवस्था में नहीं आने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र बिना अग्रिम पूछताछ के निरस्त कर दिये जावेगे।

(2) सभी परीक्षार्थी सूचित हों कि राज्य सरकार द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1993 के तहत परीक्षा में नकल/अनुचित साधन काम में लेने वाले परीक्षार्थियों को तीन वर्ष तक का कारावास या रु. 2000/– जुर्माना या दोनों दण्ड दिये जाने का प्रावधान है। परीक्षा देते समय सभी परीक्षार्थी इसका पूर्ण ध्यान रखें।

(3) **स्वयंपाठी (प्राइवेट) परीक्षार्थी की परिभाषा** :– स्वयंपाठी परीक्षार्थियों से आशय ऐसे परीक्षार्थी से है जो कि परीक्षार्थ आवेदन – पत्र भरने के समय से परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि तक बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययन नहीं कर रहा हो।

नोट :- राजस्थान राज्य की सीमा से बाहर के पात्र परीक्षार्थी भी बोर्ड की परीक्षाओं में स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकते हैं, परन्तु राजस्थान से बाहर के परीक्षार्थियों को प्रवेशार्थ रिक्त आवेदन पत्र राजस्थान बोर्ड द्वारा नियुक्त अग्रेषण अधिकारी से प्राप्त कर उन्हीं के द्वारा सःशुल्क प्रेषित करने होंगे तथा इस हेतु बोर्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र भी प्राप्त करना होगा।

2 आवेदन पत्र कहाँ से व कैसे प्राप्त करें :–

स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रवेशार्थ नमूने के रिक्त आवेदन–पत्र बोर्ड द्वारा नियुक्त अग्रेषण अधिकारियों से मिलेंगे। जिसकी सूची बोर्ड वेबसाईट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थियों को अग्रेषण शुल्क रुपये 40/– तथा निर्धारित पूरा परीक्षा शुल्क अग्रेषण अधिकारी के पास जमा कराने के पश्चात ही आवेदन–पत्र दिया जाएगा। अतः आवेदन पत्र भरने से पहले परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उसे किस श्रेणी में अथवा किन विषयों की परीक्षा देनी है, कौनसे विषय लेने हैं और उसके लिए कितना शुल्क उसे जमा कराना है। एक बार जमा कराया शुल्क किसी भी परिस्थिति में अग्रेषण अधिकारी द्वारा नहीं लौटाया जायेगा।

3. आवेदन के लिए कौन पात्र है ?

उच्च माध्यमिक परीक्षा में निम्नांकित श्रेणी में आने वाले परीक्षार्थी प्रविष्ट हो सकेंगे –

1. जो पूर्व में किसी वर्ष में इस बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण हो अथवा माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष मान्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यालय स्तर की कक्षा–11 की परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण हो तथा पात्रता के अन्य नियमानुसार परीक्षा में प्रविष्ट होने योग्य हो। ऐसे परीक्षार्थियों को उसी वर्ष के पाठ्यक्रम व परीक्षा योजनानुसार परीक्षा देनी होगी जिस वर्ष की परीक्षा के लिये वह आवेदन कर रहे है।
2. जो इस बोर्ड की सैकण्डरी स्कूल/माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा (अंग्रेजी सहित) अथवा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों। ऐसे परीक्षार्थी सैकण्डरी स्कूल/माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा अथवा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले एक वर्ष के अन्तराल

अर्थात् परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष के आगामी वर्ष के पश्चात् स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकेंगे।

3. उच्च माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी भी उच्च माध्यमिक अकादमिक परीक्षा में पूरे विषयों में प्रविष्ट हो सकते हैं।
4. स्वयंपाठी रूप से केवल कला वर्ग के निर्धारित विषयों में तथा वाणिज्य वर्ग की परीक्षा में ही प्रविष्ट हो सकेंगे। विज्ञान वर्ग/कृषि वर्ग, तथा कला वर्ग के भूगोल एवं मनोविज्ञान विषयों में किसी भी परीक्षार्थी को प्रथम बार स्वयंपाठी रूप में परीक्षा में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जाएगी। इन वर्गो में केवल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को ही, जो प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, स्वयंपाठी रूप से परीक्षा में प्रवेशाज्ञा दी जाएगी और उनके प्रायोगिक परीक्षा अंकों की व्यवस्था के अनुसार पुनरावृत्ति कर दी जाएगी।
5. कला वर्ग के अन्तर्गत गृह विज्ञान (कोड–18) विषय लेकर बैठने वाले परीक्षार्थियों को प्रायोगिक कार्यो के लिए उसी वर्ग में मान्यता प्राप्त किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 31 अगस्त तक प्रवेश लेकर एवं उसी सत्र की 31 जनवरी तक प्रति विषय निर्धारित प्रायोगिक कार्य पूर्ण करके तत्सम्बंधी प्रमाण पत्र परीक्षा के समय प्रायोगिक परीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस सम्बंध में प्रार्थी से विद्यालय द्वारा प्रति विषय निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। कलावर्ग के अन्तर्गत चित्रकला तथा संगीत विषयों के लिये प्रायोगिक कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र देना आवश्यक नहीं है।
6. केवल अंग्रेजी (अनिवार्य) विषय में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए विवरणिका में विनियम–11 अध्याय 15 के अनुसार उच्च माध्यमिक परीक्षा में केवल अंग्रेजी अनिवार्य में प्रवेश दिया जा सकेगा, यदि परीक्षार्थी ने विनियम–11 अध्याय 15 में वर्णित प्राच्य भाषा परीक्षा के साथ–साथ इस बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण कर रखी हो। ऐसे परीक्षार्थी श्रेणी 5 में सम्मिलित होने के अधिकारी होंगे।
7. वाणिज्य वर्ग के अन्तर्गत हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलिपि के साथ टंकणलिपि विषय लेने पर दोनों ही विषयों में अलग–अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। टंकण लिपि लेने वाले परीक्षार्थियों को टंकण यंत्र का प्रबंध स्वयं करना होगा।
8. उच्च माध्यमिक कला वर्ग के अन्तर्गत फारसी साहित्य, हिन्दी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य में विवरणिका के अनुसार एक विषय ही वैकल्पिक विषय के रूप में ले सकेगा।
9. श्रेणी 2 व 6 में इस बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को आगामी वर्ष केवल एक अवसर देय है। यह सुविधा अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय के छात्रों को देय नहीं है।
10. एक बार किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उसी परीक्षा में श्रेणी–1 में प्रवेशाज्ञा नहीं जावेगी किन्तु समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में श्रेणी–1 में प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी।

4. **अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदनकर्त्ताओं की पात्रता :**

विशेष :– आवेदन पत्र जमा कराने से पूर्व बोर्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है। (कृपया देखें अन्तिम तिथि)अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक (कक्षा10) परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को राजस्थान बोर्ड की उच्च माध यमिक परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो निम्नांकित आधार पर प्राप्त किया जा सकता है –

(i) माध्यमिक परीक्षा उस बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका में समकक्षता सूची में शामिल हो। अनुदेशिका राजस्थान बोर्ड की मान्यता प्राप्त शालाओं में देखी जा सकती है।

(ii) पात्रता प्रमाण पत्र हेतु कक्षा 10 में संबंधित बोर्ड से उत्तीर्ण होने के साथ न्यूनतम पांच विषयों में प्रत्येक में 33 प्रतिशत अंक सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी प्रकार कक्षा 12 में नियमित प्रवेश हेतु कक्षा 11 की गृह परीक्षा संबंधित बोर्ड की योजनानुसार उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(iii) यदि किसी विषय/विषयों में 33 प्रतिशत से कम अंक है और फिर भी परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया गया है तो उसके कुल निर्धारित पूर्णांकों के लिए जो देय होते हैं, के एक प्रतिशत अंको का लाभ सानुग्रह अंकों के रूप में प्रवेश की पात्रता जांचने हेतु देय होगा। सानुग्रह अंक कुल विषयों के निर्धारित पूर्णांकों के आधार पर 1 प्रतिशत से अधिक किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होंगे। इस प्रकार दिये गये सानुग्रह अंको का लाभ एक विषय या अधिक विषयों की कमी को पूर्ण करने हेतु देय होगा। यदि संबंधित अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय में सानुग्रह अंको का लाभ पहले ही परीक्षार्थी को दे रखा है, तब यह देखा जाएगा कि इस बोर्ड के 1 प्रतिशत सानुग्रह अंक देने के उपर्युक्त वर्णित नियमानुसार परीक्षार्थी को कुल सानुग्रह अंकों का लाभ मिल चुका है अथवा नहीं। यदि नहीं तो सानुग्रह अंकों का लाभ ऐसे सभी मामलों में इस बोर्ड के नियमानुसार परीक्षार्थी की प्रवेश पात्रता देखने हेतु देय होगा। सानुग्रह अंक प्रदान करने का यह नियम सभी बोर्ड/विश्वविद्यालयों के मामले में लागू माना जाएगा चाहे वहाँ सानुग्रह अंक प्रदान करने का नियम हो अथवा नहीं। किंतु पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को सानुग्रह अंकों का लाभ देय नहीं होगा।

(iv) पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को माध्यमिक (कक्षा 10) की मूल अंकतालिका, मूल प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) अथवा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इन दस्तावेजों की फोटो प्रति भी संलग्न करनी होगी। पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त प्रलेख संलग्न कर अंकित शुल्क के साथ प्राप्त किया जा सकेगा :–

5. किन श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं ?

उच्च माध्यमिक परीक्षा निम्न श्रेणियों (Categories) में आयोजित की जाती है। परीक्षार्थी एक बार में एक ही श्रेणी में प्रविष्ट हो सकता है।

श्रेणी I – सम्पूर्ण विषयों में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए।

श्रेणी II – श्रेणी सुधार हेतु सम्पूर्ण विषयों में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए।

श्रेणी IV – अतिरिक्त विषय/विषयों में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात श्रेणी (IV) अतिरिक्त विषय केवल संबंधित परीक्षा के विषयों में से ही लिया जा सकता है।

श्रेणी V – मान्य प्राच्य भाषा में उत्तीर्ण होने के बाद अंग्रेजी (अनिवार्य) अथवा हिन्दी (अनिवार्य) विषय में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए।

श्रेणी VI – अंको में सुधार हेतु एक या अधिक विषयों में (सम्पूर्ण विषयों में नहीं) प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए।

श्रेणी VIII– वर्ग परिवर्तन कर पुनः उसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी।

विशेष :–

(i) श्रेणी सुधार/अंक सुधार अथवा अतिरिक्त विषयों में केवल इस बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को ही प्रवेश दिया जावेगा।

(ii) श्रेणी सुधार/अंक सुधार अथवा अतिरिक्त विषयों में केवल नई पद्धति (10+2) से परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को ही प्रवेश दिया जावेगा।

(iii) श्रेणी सुधार/अंक सुधार/वर्ग परिवर्तन कर परीक्षा में बैठने की अनुमति संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष में निरन्तर में एक अवसर दिया जावेगा।

(iv) उच्च परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् यदि परीक्षार्थी अतिरिक्त विषय (Cat. iv) में प्रविष्ट होना चाहे तो जो विषय उसके उच्च अध्ययन में न लिया हो तो परीक्षा में उसे ही (Cat. IV) में प्रविष्ट होने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

(v) श्रेणी II (श्रेणी सुधार) में परीक्षार्थी को विषय परिवर्तन कर परीक्षा में प्रवेशाज्ञा प्रदान नहीं की जावेगी।

6. आवेदन पत्र/कम्प्यूटर डाटा फार्म की पूर्ति किस प्रकार की जाए :

स्वयंपाठी परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन पत्र की पूर्ति निम्नानुसार करें :–

(1) <u>आवेदन पत्र</u> :– (क) अपने व्यक्तिगत विवरण में स्वयं, पिता का व माता का नाम स्पष्टतः हिन्दी व अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखें। माता व पिता दोनों का नाम लिखा जाना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश माता या पिता में से किसी एक का नाम नहीं लिखने की स्थिति में है, तो आवेदन पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अग्रेषण अधिकारी से सत्यापित कराकर संलग्न करें जिसमें कारण का उल्लेख स्पष्टतः किया जाए। और यदि माता – पिता दोनों का ही नाम लिखने की स्थिति में नहीं हैं तो अनाथालय/अभिभावक का नाम लिखने की छूट है किन्तु इस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसी प्रकार जैन साध्वियों द्वारा दीक्षा लेने के बाद माता – पिता के नाम के स्थान पर गुरू का नाम लिखा जा सकता है। इस हेतु दीक्षा लेने का स्वयं के समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रमाण – पत्र देने होंगे। स्वयं, पिता और माता के नाम की वर्तनी माध्यमिक परीक्षा के प्रलेखों के आधार पर सही लिखें। सामान्यतः इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

(ख) जिस जिले के अग्रेषण अधिकारी से आवेदन पत्र अग्रेषित करवा रहे हैं, उसी जिले के दो परीक्षा केन्द्रों के स्थान कोड का चयन वरीयता क्रम में लिखें। बोर्ड कार्यालय पहले स्थान पर चयनित परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा स्थानाभाव की स्थिति में दूसरे स्थान पर अथवा बोर्ड की सुविधा पर केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। केन्द्र स्थानों का सही कोड नम्बर आवेदन पत्र में अवश्य लिखें त्रुटिपूर्ण कोड की वजह सें गलत केन्द्र आवंटित होने पर बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। इसकी जानकारी अग्रेषण अधिकारी से ले लें। परीक्षा केन्द्र का स्थान का कोड, आवेदन–पत्र में ध्यानपूर्वक भरें। परीक्षा केन्द्र का नाम नहीं भरें। केवल स्थान कोड भरा जाना है।

(ग) सैक्स कोड पुरूष के लिए 01 तथा महिला के लिये 02 स्पष्टतः लिखें।

(घ) माध्यम कोड हिन्दी के लिए 01 व अंग्रेजी के लिए 02 सावधानी से लिखें। आवेदन पत्र में एक बार पूर्ति करने के बाद किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ड.) यदि परीक्षार्थी दृष्टिहीन, विकलांग, सूर्यमुखी, सैनिक, सेरीब्रल पाल्सी, पोलियो / लकवा / जन्मजात विकलांगता व मूक बधिर है तो इसका कोड भी आवेदन पत्र में यथा स्थान लिखें।

(च) आवेदन पत्र पर यथा स्थान अपना नवीनतम श्वेत श्याम आवक्ष चित्र चिपकाऐं। आवेदन पत्र के आवक्ष चित्र के नीचे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर भी करें ।

(छ) अनुदेश के अनुसार जिस श्रेणी में प्रविष्ट होना चाहते हैं उस श्रेणी को (✔) चिन्हित करें। इसमें त्रुटि नहीं करे।

(ज) आवेदन पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना पता स्पष्टतः लिखें ।

(झ) आवेदन पत्र में परीक्षा का विवरण,वर्ष, विषय आदि सहित दें जिसके आधार पर परीक्षा में प्रविष्ट होने की पात्रता रखते हैं।

(ञ) आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रलेख संलग्न करें–

(अ) माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा अनुत्तीर्ण/उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका तथा उसकी शाला प्रधान द्वारा सत्यापित फोटो प्रति। अन्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थी बिन्दु सं. 4 के अनुसार पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।

(ब) अन्य प्रलेख जो परीक्षार्थी की पहचान के लिए आवश्यक हों।

7. अग्रेषण अधिकारी को परीक्षार्थी की पहचान के लिए संतुष्ट होना आवश्यक है –

आवेदन पत्र जमा कराते समय परीक्षार्थी को अग्रेषण अधिकारी को यह संतुष्ट करना आवश्यक है कि आवेदन पत्र उसी परीक्षार्थी का है, जिसका फोटो आवेदन पत्र पर लगा है। इसलिए उसे निम्नांकित किसी एक स्थिति में होना आवश्यक है :–

(i) परीक्षार्थी अग्रेषण विद्यालय का पूर्व विद्यार्थी हो और अग्रेषण अधिकारी उसे पहचानते हों।

(ii) विद्यालय के कोई अध्यापक जो स्थाई सेवा में हो, उसकी पहचान प्रमाणित करें।

(iii) रु. 10/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अपना फोटो लगाकर शपथ पत्र जिसे ओथ कमिश्नर या नोटेरी पब्लिक सत्यापित करें।

अतः आवेदन पत्र जमा करते समय उपरोक्त में से कोई एक प्रमाण पत्र साथ रखें।

8. आवेदन पत्र जमा कराना –

(i) अनुदेश –6 के अनुसार आवेदन पत्र की पूर्ति कर सम्बंधित अग्रेषण अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित तिथियों में जमा कराना होगा। परीक्षा आवेदन पत्र अधिकृत अग्रेषण अधिकारी से अग्रेषित कराना अनिवार्य है।

(ii) एक बार मात्र परीक्षा शुल्क जमा करा देने से परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने का हकदार नहीं हो जाएगा। उसे आवेदन पत्र भी वापस निर्धारित तिथि में ही अग्रेषण अधिकारी को जमा कराना हैं तथा आवेदन–पत्र जमा कराते समय निर्धारित तिथि के अनुसार देय शुल्क भी देना होगा। यदि परीक्षार्थी निर्धारित तिथियों में आवेदन पत्र जमा नहीं करा पाता है तो उसे किसी भी स्थिति में परीक्षा में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जायेगी। आवेदन पत्र भरकर वापस अग्रेषण अधिकारी को देते समय परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा शुल्क जमा कराने की रसीद भी ले जाऐं तथा आवेदन पत्र जमा कराने की पावती अग्रेषण अधिकारी से रसीद के पीछे लें, जिसे परीक्षार्थी सम्भाल कर रखें। इस प्रकार की पावती देने के लिए अग्रेषण अधिकारी को निर्देश दे दिये गए है। अग्रेषण अधिकारी आवेदन पत्र जमा करते समय रसीद के पीछे पावती के हस्ताक्षर कर मुद्रा व तारीख लगाऐंगे।

(iii) आवेदन पत्र की पूर्ति के बाद परीक्षार्थी को निर्धारित अन्तिम तिथियों तक नियमानुसार इसी अग्रेषण अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर आवेदन – पत्र अग्रेषित कराकर अग्रेषण अधिकारी के पास जमा कराना होगा। असाधारण विलम्ब शुल्क की स्थिति में आने पर भी आवेदन पत्र वहीं जमा कराना हैं जहां से लिया है। आवेदन–पत्र जमा कराते समय निर्धारित तिथियों के अनुसार देय विलम्ब शुल्क असाधारण विलम्ब शुल्क परीक्षार्थी को जमा कराना होगा। आवेदन पत्र पर आवक्ष चित्र नवीनतम होने चाहिए। जैन साधु/साध्वियों को आवक्ष चित्र लगाने से मुक्ति प्रदान की गई है।

(iv) भारतीय सेना (थल, जल व वायुसेना, सीमा सेना अथवा आर.ए.सी.) में कार्यरत परीक्षार्थियों को आवेदन पत्र सीधे बोर्ड को भेजने की सुविधा दी गई है। सेना अधिकारी ऐसे परीक्षार्थी के लिए प्रमाणित करेंगे कि आवेदक उसकी यूनिट या रैजीमेंट में नियुक्त है। जो परीक्षार्थी आवेदन पत्र भरते समय केन्द्रीय सुरक्षा बल में कार्य कर रहे हैं, उनको अपना आवेदन पुलिस अधिकारी जिसका पद डिप्टी सुपरिटेंडेन्ट के पद से कम न हो, के द्वारा अग्रेषित करवा कर सीधा बोर्ड को भेजने की सुविधा है। शेष नियम अन्य स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के समान लागू होंगे। सैनिक परीक्षार्थी को परीक्षा शुल्क जमा कराने की रसीद की फोटो स्टेट प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ लगाकर भेजना अनिवार्य है, इसके अभाव में उसका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

(v) यदि कोई परीक्षार्थी अपने आवेदन पत्र में असत्य विवरण अथवा फर्जी/झूठे प्रलेख संलग्न कर अथवा प्रलेखों में हेराफेरी करके परीक्षा में प्रवेश पाने का प्रयत्न करेगा तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर बोर्ड द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यदि यह परीक्षा में प्रविष्ट हो गया है तो भी उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी व परीक्षा शुल्क भी नहीं लौटाया जायेगा तथा दोष की गम्भीरता के अनुसार भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने से भी उसे वंचित किया जा सकेगा और/अथवा तत्सम्बंधी, नियमानुसार दण्ड भी दिया जा सकेगा। फर्जी/झूठे प्रलेख प्रस्तुत करने वाले परीक्षार्थियों के विरूद्ध पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई जावेगी।

(vi) इस कार्यालय में पूछताछ करते समय परीक्षार्थी अपना पूरा विवरण यथा नाम, अग्रेषण अधिकारी का नाम, इच्छित केन्द्र का

नाम तथा विषय अवश्य लिखें। उक्त विवरण रहित पत्र का उत्तर देना सम्भव नहीं होगा। सैनिक परीक्षार्थी को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा प्रत्येक पत्र व्यवहार के समय उक्त पूर्ण विवरण व पता अवश्य देना चाहिए।

नोट :– प्राइवेट कोचिंग इन्स्ट्टीट्यूट्स को बोर्ड ने आवेदन पत्र बेचने तथा अग्रेषित करने का अधिकार नहीं दिया हुआ है, अतः परीक्षार्थी को ऐसी संस्थाओं से उक्त कार्य हेतु सम्पर्क नहीं करना चाहिए। यदि किसी परीक्षार्थी के बारे में यह पाया जायेगा कि उसने प्राइवेट कोचिंग इन्स्ट्टीट्यूट्स के मार्फत आवेदन पत्र बोर्ड को प्रस्तुत किया है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसे बोर्ड नियमानुसार दण्डित किया जा सकेगा।

9. परीक्षा शुल्क से मुक्ति –

निम्नांकित परीक्षार्थियों को वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर टोकन शुल्क रु. 45/– नकद जमा करना होगा। विलम्ब शुल्क तिथियों के अनुसार तथा केन्द्र/वर्ग/विषय परिवर्तन करने वाले छात्रों से पूरा शुल्क लिया जावेगा।

(1) दृष्टिहीन परीक्षार्थी (दृष्टिहीन होने की पुष्टि में आवेदन पत्र के साथ राजकीय चिकित्सालय के प्रधान चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।)

(2) युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अथवा अपाहिज सैनिकों के पुत्र/पुत्री (पुष्टि हेतु सैनिक अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।)

(3) विकलांग परीक्षार्थी हेतु विकलांग परीक्षार्थी की परिभाषा निर्देशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर द्वारा विकलांगों को रोजगार के लिये निर्धारित की गई परिभाषा के अनुसार मानी जाएगी। ऐसे परीक्षार्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले विकलांगो को निर्धारित प्रपत्र में जारी किये गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही शुल्क से मुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

(4) किन्तु उपरोक्त परीक्षार्थियों से विलम्ब शुल्क, केन्द्र/विषय/वर्ग/माध्यम परिवर्तन शुल्क सामान्य छात्रों की भांति ही लिया जायेगा।

10. प्रवेश–पत्र एंव अंकतालिका प्राप्त करने की विधि :–

(क) परीक्षार्थी को चाहिए कि वह परीक्षारम्भ के एक सप्ताह पूर्व सम्बंधित केन्द्र अग्रेषण अधिकारी से सम्पर्क कर प्रवेश पत्र प्राप्त कर लें।

(ख) आवेदन पत्र के साथ संलग्न मूल प्रलेख सम्बंधित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थ आवेदन पत्र के साथ भेजे जायेगें। अतः वहां से प्राप्त कर लें। यदि परीक्षा केन्द्र से उनके मूल प्रलेख प्राप्त नहीं होते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर उनसे पूरी पूछताछ करें तथा उसके बाद तुरन्त ही बोर्ड कार्यालय को लिखें। टी.सी. वापस नहीं की जायेगी। यदि परीक्षार्थी को इसकी आवश्यकता हो तो वह बोर्ड कार्यालय में रु. 50/– भेज कर प्राप्त कर सकता है।

(ग) जिन सैनिक परीक्षार्थियों, के आवेदन पत्र सैनिक अधिकारियों द्वारा अग्रेषित होकर प्राप्त होंगे उनके प्रवेश पत्र उनके आवेदन पत्र में लिखे स्थाई पते पर बोर्ड कार्यालय से सीधे भेज दिये जायेंगे। अतः परीक्षार्थी अपने स्थाई पते पर जानकारी करता रहे।

(घ) जिस परीक्षार्थी का आवेदन – पत्र किसी भी कारण से निरस्त कर दिया गया है तो उसकी सूचना संबंधित परीक्षार्थी एवं अग्रेषण अधिकारी को दे दी जायेगी।

(ड) स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को उनके प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका तथा पूरक परीक्षा योग्य परीक्षार्थियों को अंकतालिकाएं उसी केन्द्र पर, जिस पर कि उन्होंने परीक्षा दी थी, परिणाम घोषित होने के पश्चात् भेज दी जाएगीं। अतः अंक तालिका प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थियों को स्वयं को केन्द्राधीक्षक के पास अपना प्रवेश पत्र लेकर उपस्थित होना चाहिए। सैनिक परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र व अंकतालिका उनके आवेदन पत्र में दिये गए पते पर बोर्ड कार्यालय द्वारा सीधी भिजवा दी जावेगी।

11. विषय/केन्द्र परिवर्तन :– आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विशेष परिस्थितिवश यदि कोई परीक्षार्थी केन्द्र/विषय/वर्ग अथवा श्रेणी/माध्यम परिवर्तन करना चाहे तो निम्नानुसार आवेदन करना होगा –

	अंतिम तिथि
1. केन्द्र/वर्ग/श्रेणी/माध्यम परिवर्तन हेतु एक परीक्षा शुल्क सहित आवेदन	30 नवम्बर 2013 तक

(I) स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा के विषयों में अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. केवल केन्द्र परिवर्तन हेतु दुगुनें परीक्षा शुल्क सहित (केवल विशेष परिस्थिति यथा स्थान परिवर्तन, विद्यालय परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा की स्थिती में।)	31 दिसम्बर 2013 तक

(नोट : विषय/वर्ग/श्रेणी/माध्यम के लिये लागू नहीं है)

नोट :– 1. 31 दिसम्बर 2013 के बाद सामान्यतः केन्द्र परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(II) परीक्षार्थ आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् यदि परीक्षार्थी विषय परिवर्तन करना चाहे तो निम्नानुसार विषय परिवर्तन कर सकेगा।

1. 30 नवम्बर तक प्रति विषय परिवर्तन हेतु एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।
2. 31 दिसम्बर तक विषय परिवर्तन करने हेतु प्रति विषय दुगुना परीक्षा शुल्क के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।
3. 31 दिसम्बर के पश्चात् बोर्ड स्तर / परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न–पत्र उपलब्ध होने की स्थिति में 1000/– रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति विषय के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।
4. केन्द्र पर प्रश्न–पत्र उपलब्ध नहीं होने पर विषय परिवर्तन शुल्क रुपये 2000/– प्रति विषय लिया जायेगा। इस हेतु परीक्षार्थी परीक्षा प्रारम्भ के तीन दिवस पूर्व विषय परिवर्तन की सूचना व्यक्तिशः बोर्ड को देनी होगी तथा निर्धारित शुल्क बोर्ड में व्यक्तिशः जमा कराना होगा। अन्यथा उसका किसी भी परिस्थिति में विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त अनुमति परीक्षा प्रारम्भ होने के तीन दिवस पूर्व प्रार्थना पत्र एवं परीक्षा शुल्क बोर्ड कार्यालय को प्राप्त होने पर ही दी जा सकेगी। अन्यथा किसी भी स्थिति में विषय परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

12. मूक बधिर परीक्षार्थियों को अंग्रेजी (अनिवार्य) विषय से छूट :–

मूक बधिर परीक्षार्थियों को उच्च माध्यमिक परीक्षा में अंग्रेजी (अनिवार्य) विषय की छूट प्रदान की गई है।

नोट :– 1. श्रुत लेखक तथा केन्द्र/विषय/वर्ग/श्रेणी/माध्यम परिवर्तन हेत विस्तृत जानकारी अग्रेषण अधिकारी से प्राप्त करें।
2. अन्य किसी प्रकार की जानकारी एवं विस्तृत नियम हेतु विवरणिका देखें तथा अग्रेषण अधिकारी से सम्पर्क करें।

जांच बिन्दु (Check Point) (✔करें)

परीक्षार्थी आवेदन–पत्र जमा कराने से पूर्व निम्न तथ्यों की पुष्टि अवश्य करें –

1. परीक्षा आवेदन–पत्र एवं कम्प्यूटर डाटा फार्म पर Black & White फोटो चिपका दिये है। (नोट :– प्रमाण–पत्र पर परीक्षार्थी का फोटो दिया जाता है अतः स्पष्ट एवं नवीन फोटो ही चिपकावें) ☐
2. माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण/उच्च माध्यमिक अनुत्तीर्ण/उत्तीर्ण की अंकतालिका की मूल प्रति एवं शाला–प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न कर दी है। ☐
3. परीक्षार्थी ने सही श्रेणी का चुनाव कर श्रेणी कोड़ यथा स्थान भर दिया है। ☐
4. अपना पूर्ण पता एवं फोन नम्बर यथा स्थान लिख दिया है। ☐
5. अन्य बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण परीक्षार्थी ने बोर्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न कर दिया है। ☐
6. परीक्षार्थी ने यथा स्थान अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं। ☐
7. अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से कक्षा 10/11 उत्तीर्ण है तो मूल पात्रता प्रमाण पत्र संलग्न है। ☐

सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

सामान्य निर्देश :-

परीक्षार्थी द्वारा परीक्षार्थ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जन्म तिथि में किये गये संशोधन प्रति वर्ष 31 दिसम्बर तक किये गये संशोधन आदेश स्वीकार किये जावेगें। उसके पश्चात् किये गये संशोधन आदेश स्वीकार नहीं किये जावेगें।

वर्ष 2014 की परीक्षा से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्र में विद्यालयों द्वारा परीक्षार्थियों के आवक्ष चित्र में संशोधन हेतु प्राप्त प्रकरणों में संशोधन हेतु निर्धारित तिथि पश्चात् प्रति परीक्षार्थी से रू. 100/- संशोधन शुल्क लिया जावेगा।

वर्ष 2014 की परीक्षा से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में विद्यालयों को दी गई संशोधन की निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले संशोधन पर बोर्ड द्वारा नियमानुसार शुल्क लिया जावेगा।

वर्ष 2014 की परीक्षा से यदि विद्यालयों द्वारा नियमित परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र में ऐसे विषय भरकर अग्रेषित किया है जिस विषय में विद्यालय को अध्यापन कराने की मान्यता प्राप्त नहीं है और स्वअध्ययन की अनुज्ञा चाहता है तो विद्यालय द्वारा प्रथम वर्ष अग्रेषित प्रथम दस परीक्षार्थियों से एक परीक्षा शुल्क की राशि लेकर स्वअध्ययन की अनुज्ञा दी जावेगी। 10 छात्रों से अधिक होने पर प्रति छात्र पूर्व व्यवस्थानुसार 2,000/- रू. प्रति छात्र प्राप्त कर ऐसे विषय में स्वअध्ययन की अनुज्ञा देने का प्रावधान है। यदि विद्यालय यही त्रुटि अगले वर्ष दोहराता है तो प्रति छात्र 10,000/- रू. शास्ती शुल्क लिया जावेगा।

विद्यार्थी अपना वर्ग/जाति कोड संख्या सही-सही भरें। यदि जाति कोड संख्या गलत भरी हुई है या कॉलम रिक्त छोड़ा है, तो इसमें संशोधन हेतु दी गयी अवधि पश्चात् परीक्षा परिणाम मेरिट सूची में विद्यार्थियों के जाति/वर्ग में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा। संस्था प्रधान/अग्रेषण अधिकारी विद्यार्थियों से प्राप्त प्रमाण-पत्रों में जाति /वर्ग का अनिवार्यत: सत्यापन कर लें।

बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र में जो जाति श्रेणियां दी गयी है 1. अल्पसंख्यक 2. अनुसूचित जाति 3. अनुसूचित जनजाति 4. अन्य पिछड़ा वर्ग 5. विशेष पिछड़ा वर्ग, विद्यार्थी उनमें से केवल किसी एक श्रेणी का ही चयन कर सकता है। अत: जो विद्यार्थी एक से अधिक श्रेणी (Caste Category) से सम्बन्धित है तो उनमें से एक ही वर्ग जिसमें आप लाभ लेना चाहते हैं उस वर्ग का अंकन करें। बोर्ड परीक्षा परिणाम की वरिष्ठता सूची के आधार पर दिये जाने वाले पुरस्कार या छात्रवृत्तियाँ या किसी अन्य लाभ के लिये इस वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्ग का होने पर भी आपकी गणना इसी वर्ग (बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र में भरें गये जाति कोड) में ही की जायेगी तथा परीक्षा आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि के पश्चात् इसमें किसी प्रकार के संशोधन पर विचार नहीं किया जायेगा।